न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 14/2022

प्रार्थी::–

पदमसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण::–

1. सुजाराम दत्तक पुत्र रावताजी जाति मेघवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मदनकंवर पत्नी लखसिह सोढा जाति राजपुत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांकः– 23.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 711/33 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि ग्राम गूंगरोट तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की बदिशा पश्चिम से लगती विप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि ख.स. 710/33 रकबा 1.4569 हैक्टेयर सरहद मौजा गूंगरोट व विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 926 रकबा 3.7433 हैक्टेयर सरहद सिवाना में आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु, आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित विप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है,जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.17 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा गुंगरोट अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 711/33 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 710/33 सरहद मौजा गुंगरोट व विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 926 सरहद मौजा सिवाना की बदिशा पश्चिम पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित चौडाई 20 फीट भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को देने हेतु सहमत है। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि सरहद मौजा गूंगरोट खसरा संख्या 710/33 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से 0.0368 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सिवाना की खसरा संख्या 926 रकबा 3.7433 हैक्टेयर में से 0.0460 हैक्टेयर की भूमि को किस्म गै.मु. रास्ते के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करते हुए रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 711/33 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 2 व 1 की खातेदारी भूमि ख.सं. 710/33 सरहद मौजा गुंगरोट व खसरा संख्या 926 सरहद मौजा सिवाना मे से चाहा गया रास्ता, रिपोर्ट के संलग्न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.17 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग गुलाबी रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है तथा रास्ते हेतु प्रभावित भूमि की लम्बाई व चौडाई खसरा संख्या 926 में 115 मीटर व 4 मीटर तथा खसरा संख्या 710/33 में 92 मीटर व 4 मीटर है प्रभावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.0828 हैक्टेयर बताया है। प्रभावित रकबे की डी.एल.सी दर की दुगनी राशि रास्ते की भूमि के बदले में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दी जाने हेतु प्रार्थी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गुंगरोट तहसील सिवाना की ख.सं. 711/33 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 2 के विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी भूमि सरहद मौजा गुंगरोट की खसरा संख्या 710/33 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से 0.0368 हैक्टेयर भूमि व विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि सरहद मौजा सिवाना की खसरा संख्या 926 रकबा 3.7433 हैक्टेयर में से 0.0460 हैक्टेयर भूमि को तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग गुलाबी से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थीगण को दी जावे। विप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि लेने से इनकार करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के पश्चात ही तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2023/102 दिनांक 17.01.2023 को मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक [illegible] को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.17 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आंशिक नक्शा लट्ठा ट्रेस
मौजा - गूंगरोट
तहसील - सिवाना
पैमाना १" = ८० गट्ठा

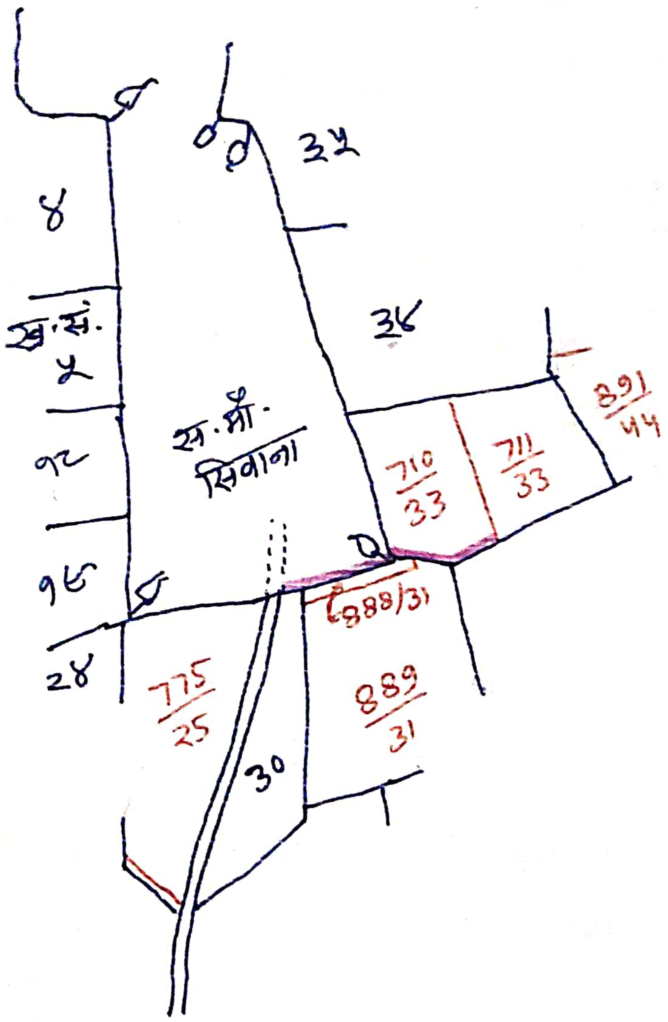

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सरकारी प्रयोजनार्थ
नि:शुल्क
जारी की।

ILR सिवाना
16-11-22

तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.17 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested